न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2015

हरदीपसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. मुन्शीसिंह पुत्र कुण्डा सिंह (मृतक)

2/1 परमजीतसिंह पुत्र मुन्शीसिंह
2/2 सुखदेव कौर बेवा दर्शन सिंह पुत्र मुन्शीसिंह
2/3 सुखचरणसिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र मुन्शीसिंह
2/4 चिन्त कौर पुत्री दर्शनसिंह पुत्र मुन्शीसिंह
2/5 प्रीतमसिंह पुत्र देवो पुत्री मुन्शीसिंह
जाति मजहबी सिख निवासी सराय नागा तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

2/6 सेवकसिंह पुत्र देवासिंह पुत्र मुन्शीसिंह
2/7 वीरपाल कौर पुत्री देवो पुत्री मुन्शीसिंह
2/8 हरजीत कौर पुत्री देवो पुत्री मुन्शीसिंह
जाति मजहबी सिख निवासी गुरूसर तहसील रामपुरा फूल जिला भठिण्डा पंजाब।

2/9 पम्मी पुत्री मुन्शीसिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक हीरासिंहवाला तहसील संगतमण्डी जिला भठिण्डा पंजाब।

2/10 सीता पत्नी छोटासिंह पुत्री मुन्शीसिंह जाति मजहबी सिख निवासी ढीमांवाली तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।

3. हाकमसिंह पुत्र सरदार गण्डासिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

3/1 महेन्द्रसिंह पुत्र हाकमसिंह
3/2 हरदयालसिंह पुत्र हाकमसिंह
3/3 दलवीरसिंह पुत्र हाकमसिंह(मृतक)
3/4 राजेन्द्रसिंह पुत्र हाकमसिंह (मृतक)
3/4/1 हरदीपसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह पुत्र हाकमसिंह
जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

15/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

4. मानसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा (मृतक)

4/1 गुरदीपकौर बेवा मानसिंह
4/2 वीरपालकौर पुत्री मानसिंह
4/3 संदीपकौर पुत्री मानसिंह
4/4 बलकारसिंह पुत्र मानसिंह

जाति जटसिख निवासीगण मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. दलवीरसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी गांव मोहनपुरा (मृतक)

5/1 सुरेन्द्रकौर बेवा दलवीरसिंह
5/2 कुलदीपकौर पुत्री दलवीरसिंह
5/3 प्रदीपसिंह पुत्र दलवीरसिंह

जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. का.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 19.05.2015

उपस्थितिः—

श्री तेजासिंह , अभिभाषक अपीलांट
श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश बतरा , अभिभाषक रेस्पों. सं. 2/1 से 2/10
श्री हरवीरसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 3 से 5

निर्णय

दिनांक :— 15.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट हरदीपसिंह ने उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा वाद 175 आरटीए का पेश किया गया था । उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 2 से 4 है जिनमें से हाकमसिंह की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है उसके बाद दलवीरसिंह की दिनांक 26.1.2011 को व मानसिह की दिनांक 01.01.2006 को मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के पश्चात 90 दिन में उनके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अतः वाद अबेट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद उपशमन होने से दाखिल दफ्तर किया जावे।

15/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 19.05.2015 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी हाकम सिंह , मानसिंह , दलवीरसिंह की मृत्यु होने के उपरांत 90 दिवस के अन्दर इनके वारिसान का रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही वादी द्वारा नहीं करने से अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश हुआ जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद अबेट किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन थी। पत्रावली प्राप्त होने पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है एवं मार्च 2014 में प्राप्त हुई। अपीलाधीन आदेश में यह भी अंकित है कि अप्रार्थीगण की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट पटवारी की आ चुकी है एवं सभी के वारिसान की संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रा.पत्र पारित करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपीलांट अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर